

11

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 58/2021

रमेश कुमार पुत्र श्री झाबर सिंह, जाति जाट, ग्रा0पो0 भोजासर, तहसील व जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 17.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.04.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 58/2021 पर दिनांक 05.04.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /1098-99 दिनांक 05.04.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू ने पत्रांक आरटीआई/2021/184 दिनांक 15.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को जरिये इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आर0टी0आई0/182/ दिनांक 15.04.2021 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनू द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/184 दिनांक 15.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को जरिये उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक आर0टी0आई0/182/ दिनांक 15.04.2021 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू